रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 1974/पौष 27, 1895
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 1974/PAUSA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 17th January 1974

S.O. 42(E)/IDRA/74.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 36(E)/18FB/IDRA/73, dated the 19th January, 1973, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs. Indian Rubber Manufacturers Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto 18th January, 1974 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto 18th January, 1974;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for another one year commencing from the 19th January, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 18th January, 1975.

[No. F.25/5/72-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1974

का० आ० 42(अ)/आई डी आर ए/74.—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं०का०आ० 36 (ई)/18 एफ बी/आई डी आर ए/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि राजपत्र में उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, या अन्य लिखतों या उनमें से किसी का प्रवर्तन जिसका मैसर्स इंडियन रबड़ मैनुफेक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेंगे ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए, जो 19 जनवरी, 1974 से प्रारम्भ होगी ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उप धारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1975 तक बढ़ाती है ।

[सं०फा० 25/5/72—सी यू सी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974